संख्याः /IV(2)-श0वि0-2014-03(JnNURM)13

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक-27 नवम्बर, 2017

विषयः- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः K-16011/44/2017/AMRUT-II दिनांक 28.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में JnNURM के उपघटक UIDSSMT योजनान्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में संचालित कुल 10 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि ₹2716.48 लाख 'अमृत' योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक-1 में उल्लिखित विवरणानुसार भारत सरकार द्वारा द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹2716.48 लाख एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश ₹679.12 लाख, इस प्रकार कुल **₹3395.60 लाख (₹ तैंतीस करोड़ पिच्यानवे लाख साठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि एस0एल0एन0ए0/शहरी विकास निदेशालय द्वारा स्थानीय निकायों को कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों में निर्गत की जायेगी।

(ii) योजना का कियान्वयन नगर निकायों द्वारा निदेशालय के सतत अनुश्रवण में किया जायेगा।

(iii) शहरी विकास निदेशालय द्वारा योजनाओं का मासिक आधार पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एजेन्सी (IRMA) की रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं का संज्ञान लेकर नगर निकाय एवं कार्यदायी संस्था से उक्त बिन्दुओ के आधार पर सुधार करवाया जायेगा।

(iv) सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि एस0एल0एन0ए0 की संस्तुति के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

(v) योजना के कियान्वयन के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यों का साप्ताहिक रूप से अनुश्रवण कर रिपोर्ट (कार्यस्थल स्थल के फोटोग्राफ सहित) एस0एल0एन0ए0 को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) नगर निकायों द्वारा कार्यदायी संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शहरी विकास निदेशालय को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(vii) योजनाओं की स्वीकृति के समय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।

..2/-

(viii) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को प्रकृति के अनुरूप पूर्ण इकाई के रूप में निर्मित किया जायेगा। कार्य को छोटे–छोटे टुकडों में बांटकर कार्य नही कराया जायेगा तथा निविदाएं भी इसी के अनुरूप आमंत्रित की जायेगी।

(ix) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार निविदाएं टू–बिड सिस्टम पर तकनीकी बिड के अन्तर्गत, निर्धारित शर्तों को रखते हुए किया जाय ताकि सक्षम व अनुभवी फर्मो/निविदादाताओं द्वारा ही निविदा प्रकिया में भाग लिया जाय तथा उच्च स्तरीय फर्म का चयन किया जा सके।

(x) योजनाओं के कियान्वयन हेतु निविदा प्रपत्र/आर0एफ0पी0 आंमत्रित किए जाते समय प्रपत्र/अभिलेख के अन्तर्गत, योजनाओं के कियान्वयन के पश्चात 02 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का प्रतिबन्ध रखा जाय।

(xi) योजनाओं की स्वीकृति के समय योजनाओं को पूर्ण करन हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।

(xii) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(xiii) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।

(xiv) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों एवं उक्त सभी के विषय में समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(xv) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(xvi) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(xvii) स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xviii) शहरी विकास निदेशालय द्वारा नगर निकाय एवं कार्यदायी संस्था से परियोजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2018 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

..3/–...

3— उक्त के संबध मे होने वाला व्यय वित्तीय **वर्ष 2017—18** के आय—व्ययक के **अनुदान सं0—13** लेखाशीर्षक "2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—191—स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकराणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता—01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—0107—अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन(90:10)—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0—503/XXVII(2)/2017 दिनांक: 14 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न एलोटमेन्ट आई0डी: S- 1711130211 ———S————————————— S——————————.

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

सं0—1424 (1)/IV(2)-श0वि0—2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एव हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त अनुभाग—1 एवं 2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या: 1424 /IV(2)-श0वि0-2017-03(JnNURM)13, दिनांक 27 नवम्बर,2017 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	निविदा मूल्य	भारत सरकार द्वारा परियोजना की संसोधित केन्द्रांश और उसके सापेक्ष देय राज्यांश			अतिथि तक परियोजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश)	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		
					केन्द्रांश	राज्यांश	योग		केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1.	नगर पंचायत, कर्णप्रयाग	रोड़ एवं ड्रेनेज	220.77	214.34	171.47	49.30	220.77	110.39	83.16	20.79	103.95
2.	नगर पंचायत, रुद्रप्रयाग	रोड़ एवं ड्रेनेज	506.25	484.57	387.66	118.59	506.25	253.13	185.16	46.29	231.45
3.	नगर पंचायत, मुनिकीरेती	ड्रेनेज	94.01	84.42	67.54	19.62	87.16	47.00	29.94	7.48	37.42
4.	नगरपालिका परिषद, नरेन्द्र नगर	रोड़ एवं ड्रेनेज	485.04	470.67	376.54	108.50	485.04	242.53	182.52	45.63	228.15
5.	नगर पंचायत, पुरोला	रोड़ एवं ड्रेनेज	420.02	396	316.54	91.69	408.23	210.00	148.80	37.20	186.00
6.	नगर पंचायत, जोशीमठ	रोड़ एवं ड्रेनेज	730.88	702.49	561.99	161.79	723.78	365.44	269.64	67.41	337.05
7.	नगर पंचायत, बड़कोट	रोड़ एवं ड्रेनेज	510.76	486.16	388.93	121.59	510.52	255.38	184.63	46.16	230.79
8.	नगरपालिका परिषद, उत्तरकाशी	रोड़ एवं ड्रेनेज	454.30	376.1	300.88	84.52	385.40	227.15	119.16	29.79	148.95
9.	नगर पंचायत, मंगलौर	रोड़	3587.19	3403.4	2722.72	680.68	3403.40	1793.60	1287.84	321.96	1609.80
10.	नगरपालिका परिषद, गोपेश्वर	जलापूर्ति	718.18	641.13	512.90	149.15	662.05	359.09	225.63	56.41	282.04
	योग–		7727.4	7259.28	5807.17	1585.43	7392.6	3863.71	2716.48	679.12	3395.60

(₹ तैंतीस करोड़ पिच्यानवे लाख साठ हजार मात्र)

(डी0एम0एस0राणा)
उप सचिव।